भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3191

दिनांक 13 दिसम्बर 2024 को उत्तर के लिए

कर्नाटक में कुपोषण

3191. श्री श्रेयस एम. पटेलः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक, विशेषकर हासन जिले में बढ़ती कुपोषण समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं,

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान कुपोषण निवारण और पोषण सहायता कार्यक्रमों के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा वर्षवार प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक में बच्चों और कमजोर समूहों को संतुलित पोषण आहारप्रदान करने के लिए क्या विशेष पहलें की गई हैं; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक में स्टंटिंग, वेस्टिंग और कम वजन के मामलों के संबंध में आंकड़े क्या हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): 15वें वित्त आयोग के तहत, बेहतर पोषण सामग्री और वितरण के माध्यम से कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है जिसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है।

यह योजना आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में नामांकन कराने वाले सभी पात्र लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है और इसे कर्नाटक के हासन जिले सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

पोषण केवल खाना खाने से नहीं होता है; इसके लिए उचित पाचन, अवशोषण और चयापचय आवश्यक होते हैं जो स्वच्छता, शिक्षा और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं। चूंकि कुपोषण के लिए भोजन, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता और शिक्षा के आयामों को शामिल करते हुए एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक होता है, इसलिए कुपोषण के मुद्दे का प्रभावी ढंग से समाधान करना महत्वपूर्ण है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 18 मंत्रालयों/विभागों के बीच क्रॉस कटिंग अभिसरण की मदद से कुपोषण की चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है।

इस मिशन के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और पक्ष समर्थन जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, रक्ताल्पता (एनीमिया) और अल्प वजन के प्रसार को कम किया जा सके।

इस योजना के तहत बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को पिछले वर्ष संशोधित और उन्नयित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं। इस में मानदंड में गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता (एनीमिया) को नियंत्रित करने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत की पूर्ति करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन और घर ले जाया जाने वाला राशन (टीएचआर) तैयार करने के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने और उसका इलाज करने तथा इससे जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है।

इस मिशन के तहत सामुदायिक जुटाव और जागरूकता पक्ष समर्थन एक प्रमुख कार्यकलाप है जिसके माध्यम से लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए जन-आंदोलन चलाया जाता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के माह में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान मिशन पोषण 2.0 के तहत कर्नाटक राज्य को जारी की गई निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

कर्नाटक में ठिगनेपन, दुबलेपन और अल्प वज़न के मामलों का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

"कर्नाटक में कुपोषण" के संबंध में श्री श्रेयस एम पटेल द्वारा पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 3191 के भाग (ख) के उत्तर से संबंधित अनुलग्नक

मिशन पोषण 2.0 के तहत कर्नाटक राज्य को जारी की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

निधियां	**जारी की गई (करोड़ में)**
2021-22	1003.70
2022-23	765.87
2023-24	912.96
2024-25	624.78*

* 20 नवंबर 2024 तक जारी की गई निधियां

अनुलग्नक-II

पूछे गए "कर्नाटक में कुपोषण" के संबंध में श्री श्रेयस एम पटेल द्वारा पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 3191 के भाग (घ) के उत्तर से संबंधित अनुलग्नक

कर्नाटक में पोषण ट्रैकर से लिया गया ठिगनेपन, दुबलेपन और अल्प वज़न के मामलों का ब्यौरा इस प्रकार है:

	अक्टूबर 2022	**अक्टूबर 2023**	**अक्टूबर 2024**
ठिगनापन %	41.0	39.7	39.7
दुबलापन %	8.9	7.5	3.2
अल्प वजन %	20.7	17.5	17.1